संख्या-32/2019/1986/77-3-19-04बजट/2019

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, सुलतानपुर,
आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30 अक्टूबर, 2019

विषय-वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु परियोजना से आच्छादित जनपदों को भूमि क्रय हेतु धनराशि रू0 250.00 करोड़ की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-4231/यूपीडा/919,दिनांक 30.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. अवगत कराना है कि पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियेाजना हेतु अनुदान सं0-07 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पंूजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे-24 वृहद निर्माण कार्य' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में मूल बजट में धनराशि रू0 1194.33 करोड़ एवं प्रथम अनुपूरक माँग के माध्यम से रू0 850.00 करोड़ अर्थात कुल रू0 2044.33 करोड़ का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश सं0-18/2019/748/77-3-19-04 बजट/19, दिनांक 05.04.2019 द्वारा मूल सिविल कार्यो हेतु रू0 991.51 करोड़, शासनादेश सं0-21/ 2019/879/77-3-19-04 बजट/19, दिनांक 02.05.2019 द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ को धनराशि रू0 10.00 करोड़, शासनादेश सं0-24/2019/1004/ 77-3-19-04 बजट/19, दिनांक 28.05.2019 द्वारा जिलाधिकारी सुलतानपुर को धनराशि रू0 10.00 करोड़ एवं जिलाधिकारी आजमगढ़ को रू0 30.00 करोड़, शासनादेश सं0-25/2019/1086/77-3-19-04 बजट/19, दिनांक 06.06.2019 द्वारा जिलाधिकारी अमेठी को धनराशि रू0 10.00 करोड़ एवं जिलाधिकारी गाजीपुर को धनराशि रू0 25.00 करोड़, शासनादेश सं0-26/2019/1121/77-3- 19-04 बजट/19, दिनांक 12.06.2019 द्वारा जिलाधिकारी, सुलतानपुर को धनराशि रू0 25.00 करोड़ एवं जिलाधिकारी गाजीपुर को धनराशि रू0 35.00 करोड़, शासनादेश सं0- 1364/77-3-19-04 बजट/19, दिनांक 19.07.2019 द्वारा भूमि क्रय/यूटीलिटी शिफ्टिंग मद हेतु जिलाधिकारी बाराबंकी को धनराशि रू0 11.00 करोड़ एवं शासनादेश सं0-1745/77-3-19-04बजट/19 टी सी, दिनांक 17.09.2019 द्वारा जिलाधिकारी सुलतानपुर को धनराशि रू0 15.00 करोड़ एवं शासनादेश सं0-1829/77-3-19-04 बजट/19 टीसी, दिनांक 17.09.2019 द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ को धनराशि रू0 8.00 करोड़ और शासनादेश सं0-1838/77-3-19-04बजट/2019, दिनांक 19.09.2019 के द्वारा परियोजना के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 400.00 करोड़ अर्थात रू01570.51 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। इस प्रकार अब रू0 473.82 करोड़ अवशेष है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3. सम्प्रति पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों से सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा परियोजना के लिए अर्जित की जा रही भूमि के सापेक्ष की गई मांग एवं यूपीडा द्वारा प्रस्तावित धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः-

क्र0सं0	जनपद का नाम	जनपदों द्वारा मांग की गई धनराशि	आबंटित धनराशि(करोड़ में)
1	लखनऊ	50.00	50.00
2	बाराबंकी	20.87	20.00
3	अमेठी	9.00	9.00
4	अम्बेडकर नगर	5.28	5.00
5	सुलतानपुर	64.83	50.00
6	आजमगढ़	81.46	50.00
7	मऊ	20.84	10.00
8	गाजीपुर	124.56	56.00
	योग	376.84	250.00

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूपीडा द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत अवशेष धनराशि रू0 473.82 करोड़ में से परियोजना से आच्छादित जनपदों को उपरोक्तानुसार रू0 250.00 करोड़ (रूपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि आहरित करके सम्बन्धित जिलाधिकारियों के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
(3) धनरशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित जिलाधिकारियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/ दस-2019- 231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखा जायेगा।

5. उपर्युक्त प्रस्तर-4 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 250.00 करोड़ (रूपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक-''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पंूजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना- 24 वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

6. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-6-704/दस-2019, दिनांक 25.10.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

पृ0संख्या-32/2019/1986(1)/77-3-2019-तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,यूपीडा,पर्यटन भवन, गोमतीनगर,लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, सुलतानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर।
5. निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/6 तथा नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।